जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सी0सी0ए0 केस सं0–31/15–16

राज्य –बनाम– अखिलेश सिंह

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
	वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांकः–423/डी0सी0बी0, दिनांकः–10/03/2016 द्वारा अपराधकर्मी अखिलेश सिंह, पे0–चन्द्रगुप्त सिंह, सा0–28 नम्बर रोड, क्वा0 नं0–01, सिदगोड़ा, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(3)(a) के अन्तर्गत जिला निष्कासन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। इस अपराधकर्मी का अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार हैः– 1. साकची थाना काण्ड सं0–240/07, दिनांकः–02.11.07, धारा–302/120बी/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट 2. कदमा थाना काण्ड सं0–114/08, दिनांकः–08.08.08, धारा–307/120बी/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट 3. ओलीडीह थाना काण्ड सं0–460/10, दिनांकः–31.10.10, धारा–387 भा0द0वि0, 4. सीतारामडेरा थाना काण्ड सं0–103/08, दिनांकः–17.09.08, धारा–353/307/427 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट 5. साकची थाना काण्ड सं0–208/08, दिनांकः–28.08.08, धारा–307/34 भा0द0वि0 6. सिदगोड़ा थाना काण्ड सं0–125/11, दिनांकः–19.10.11, धारा – 414 / 115 / 120बी / 467 /468/471 भा0द0वि0 एवं 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट, 7. जुगसलाई (बागबेड़ा) थाना काण्ड सं0–194/11, दिनांकः–26.09.11, धारा–386/387/120बी भा0द0वि0 8. परसुडीह थाना काण्ड सं0–197/12, दिनांकः–01.09.12, धारा–420 /467 /468 /387/34 भा0द0वि0 9. सिदगोड़ा थाना काण्ड सं0–01/13, दिनांकः–01.01.13, धारा –419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 386 / 120बी/34 भा0द0वि0 10. सीतारामडेरा थाना काण्ड सं0–78/05, दिनांकः–29.08.05, धारा–147/323/325/337/307 भा0द0वि0 11. विष्टुपुर थाना काण्ड सं0–232/98, धारा–302/120बी भा0द0वि0, एवं 27 आर्म्स एक्ट 12. आजादनगर थाना काण्ड सं0–242/01, धारा–420/468/471/120बी भा0द0वि0 13. साकची थाना काण्ड सं0–119/01, धारा–364ए/120बी भा0द0वि0 14. साकची थाना काण्ड सं0–51/02, धारा–25(1–बी)ए/26/27/35 आर्म्स एक्ट 15. साकची थाना काण्ड सं0–176/02, धारा–307/302/326/120बी/34 भा0द0वि0, 25(1–बी)ए/26/27/35 आर्म्स एक्ट एवं 27 आर्म्स एक्ट 16. विष्टुपुर थाना काण्ड सं0–19/02, धारा–224/225/120बी0 भा0द0वि0 17. सिदगोड़ा थाना काण्ड सं0–68/02, धारा–307/326/353/34 भा0द0वि0	

10/5/16

एवं 27 आर्म्स एक्ट

18. टेल्को थाना काण्ड सं0–46 / 02, धारा–379 / 411 भा0द0वि0
19. कदमा थाना काण्ड सं0–93 / 02, धारा–387 / 34 भा0द0वि0 एवं 3 / 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
20. जुगसलाई थाना काण्ड सं0–193 / 02, धारा–307 / 323 / 120बी भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
21. साकची थाना काण्ड सं0–144 / 03, धारा–324 / 307 / 387 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
22. विष्टुपुर थाना काण्ड सं0–72 / 04, धारा–384 / 386 / 387 / 34 भा0द0वि0,
23. सिदगोड़ा थाना काण्ड सं0–86 / 04, धारा–25(1–बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट,
24. सोनारी थाना काण्ड सं0–12 / 04, धारा–26 / 307 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
25. साकची थाना काण्ड सं0–285 / 05, धारा – 341 / 323 / 307 / 353 / 427 / 506 भा0द0वि0
26. विष्टुपुर थाना काण्ड सं0–173 / 08, धारा–307 / 34 भा0द0वि0
27. विष्टुपुर थाना काण्ड सं0–287 / 08, धारा–25(1–बी)ए आर्म्स एक्ट
28. विष्टुपुर थाना काण्ड सं0–259 / 08, धारा–302 / 120बी / 34 भा0द0वि0 एवं 27 / 35 आर्म्स एक्ट
29. साकची थाना काण्ड सं0–56 / 08, धारा–452 / 323 / 324 / 307 / 120बी भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
30. साकची थाना काण्ड सं0–64 / 08, धारा–307 / 326 / 120बी / 34 एवं 27 / 35 आर्म्स एक्ट
31. विष्टुपुर थाना काण्ड सं0–251 / 08, धारा–307 / 427 / 120बी / 34 भा0द0वि0,
32. साकची थाना काण्ड सं0–106 / 08, धारा–307 / 353 / 427 / 109 / 120बी / 506 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 / 35 आर्म्स एक्ट
33. गोलमुरी थाना काण्ड सं0–279 / 08, धारा–25(1–बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट,
34. बर्मामाईन्स थाना काण्ड सं0–200 / 08, धारा–452 / 307 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
35. बर्मामाईन्स थाना काण्ड सं0–272 / 08, धारा – 452 / 324 / 326 / 307 / 34 / 120बी0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
36. सीतारामडेरा थाना काण्ड सं0–103 / 08, धारा–353 / 307 / 427 / 120बी भा0द0वि0 एवं 27 / 35 आर्म्स एक्ट
37. परसुडीह थाना काण्ड सं0–50 / 09, धारा–02 / 34 / 120बी, भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
38. ओलीडीह थाना काण्ड सं0–460 / 10, धारा–387 / 34 / 120बी0 भा0द0वि0,
39. ओलीडीह थाना काण्ड सं0–459 / 10, धारा–387 भा0द0वि0
40. गोलमुरी थाना काण्ड सं0–271 / 10, धारा–387 / 34 भा0द0वि0
41. विष्टुपुर थाना काण्ड सं0–272 / 10, धारा–387 / 34 / 120बी भा0द0बि0
42. साकची थाना काण्ड सं0–246 / 10, धारा–224 / 225 / 120बी भा0द0वि0
43. सीतारामडेरा थाना काण्ड सं0–121 / 10, धारा–25(1–बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट,
44. सीतारामडेरा थाना काण्ड सं0–53 / 11, धारा–452 / 307 / 326 / 427 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
45. सिदगोड़ा थाना काण्ड सं0–06 / 12, धारा–386 / 120बी / 420 / 34

10/5/16

भा0द0वि0,
46. साकची थाना काण्ड सं0–7/12, धारा–115/120बी भा0द0वि0
47. साकची थाना काण्ड सं0–64/13, धारा–386/387/419/420/467/468/471/34/120बी भा0द0वि0 एवं
48. सीतारामडेरा थाना काण्ड सं0–87/14,धारा–147/148/149/323/325/307/120बी/109/114/115 भा0 द0 वि0

वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम ने निम्नांकित महत्वपूर्ण कांडों का प्राथमिकी, पर्यवेक्षण टिप्पणी और आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भेजा है:–

1. सकची थाना कांड सं0–240/07, दिनांक 02.11.07, धारा–302/120बी/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट,
2. कदमा थाना थाना कांड सं0–114/08, दिनांक 08.08.08, धारा–307/120बी/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम
3. ओलीडीह थाना कांड सं0–460/10, दिनांक 31.10.10, धारा–387 भा0 द0 वि0,
4. सीतारामडेरा थाना कांड सं0–103/08, दिनांक 17.09.08, धारा–353/307/427 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम,
5. साकची थाना कांड सं0–208/08, दिनांक 28.08.08, धारा–307/34 भा0द0वि0,
6. सिदगोड़ा थाना कांड सं0–125/11, दिनांक 19.10.11 धारा–414/115/120बी/467/468/471 भा0द0वि0 एवं 25 (1–बी)ए0 26/35 शस्त्र अधिनियम,
7. जुगसलाई (बागबेड़ा) थाना कांड सं0–194/11, दिनांक 26.09.11, धारा–386/387/120बी भा0द0वि0,
8. परसुडीह थाना कांड सं0–197/12, दिनांक 01.09.12 धारा–420/467/468/387/34 भा0द0वि0,
9. सिदगोड़ा थाना कांड सं0–01/13 दिनांक 01.01.13 धारा–419/420/467/468/471/386/120बी/34 भा0द0वि0,
10. सीतारामडेरा थाना कांड सं0–78/05, दिनांक 29.08.05, धारा–147/323/325/337/307 भा0द0वि0

वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि अपराधकर्मी अखिलेश सिंह एक पेशेवर अपराधकर्मी है। इनके कियाकलाप के कारण यहाँ की शांति व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। यह अपराधी हाल में ही जेल से छुटकर आया है और इसके जेल से छुटने पर सिदगोड़ा एवं समीप के थाना क्षेत्रों के लोगों में भय व्याप्त है तथा इनके घर पर अक्सर संदिग्ध लोगो का आना–जाना लगा रहता है, जिससे आमजनों में भय का माहौल बन गया है। जब तक ये न्यायिक हिरासत (जेल) में रहें, तब तक इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी आयी, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया।

याचित कारणपृच्छा के विरूद्ध अखिलेश सिंह द्वारा समर्पित जवाब में आधारहीन बेबुनियाद एवं अप्रासंगिक तथ्यों का समावेशन किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। उनके द्वारा आरोप को नकारने का प्रयास किया गया है। अपराधकर्मी अखिलेश सिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषप्रद है। स्पष्ट है कि इनके द्वारा कारित अपराध भा0द0सं0 के चैप्टर XVI एवं चैप्टर XVII की श्रेणी के हैं जो झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 2(d) के तहत् इनके

असामाजिक तत्व होने का द्योतक है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत अनेकों अपराध कार्य किये गये हैं एवं इनके कृत्य से लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति के भंग होने की प्रबल संभावना है।

वरीय आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित अपराधकर्मी अखिलेश सिंह, पे0–चन्द्रगुप्त सिंह, सा0–28 नम्बर रोड, क्वा0 नं0–01, सिदगोड़ा, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को इस जिले से निष्कासन करना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 3 (3)(a) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी अखिलेश सिंह, पे0–चन्द्रगुप्त सिंह, सा0–28 नम्बर रोड, क्वा0 नं0–01, सिदगोड़ा, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को दिनांकः–20.05.2016 से अगले छः माह अर्थात दिनांकः–19.11.2016 तक की अवधि के लिए इस जिले से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 7(1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0–25,000.00 का बंधपत्र (with two surities) दिनांकः–19.05..2016 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांकः–20.05.2016 से अगले छः माह अर्थात दिनांकः–19.11.2016 तक पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 (अंगीकृत) धारा–7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जांएगी। विपक्षी अखिलेश सिंह झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति अखिलेश सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजा जाय।

आदेश की प्रती 11/5/16

(लेखापित)

10/5/16

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

10/5/16

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सी0सी0ए0 के0 संख्या–31/2015–16
राज्य–बनाम– अखिलेश सिंह

	आदेश
	वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–423/डी0सी0बी0, दिनांक 10.03.2016 द्वारा अपराधकर्मी अखिलेश सिंह, पे0–चन्द्रगुप्त सिंह सा0–28 नम्बर रोड, क्वार्टर नं0–01, सिदगोड़ा, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(3)(a) के अन्तर्गत समर्पित प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 10.05.2016 को आदेश पारित करते हुए उक्त अपराधकर्मी को दिनांक 20.05.2016 से अगले छः माह अर्थात् दिनांक 19.11.2016 तक की अवधि के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया कि विपक्षी अखिलेश सिंह झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षी अखिलेश सिंह ने प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के न्यायालय में अपील दायर किया जो CCA Appeal No.-01/2016 Akhilesh Singh -Vs-State of Jharkhand के रूप में दर्ज हुआ। उक्त वाद में दिनांक 26.05.2016 को माननीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित किया गया कि– *"I am of the view that a reasonable opportunity should have been provided to the appellant to adduce evidence in his defence and examine witnesses. I am not inclined to interfare with the order passed by the Ld. DM on 10-05-2016 in CCA case no.31/2015-16. However, liberty is given to the appellant to attend the courts mentioned above where his physical appearance is required. It is made clear that whenever the appellant will enter the district of East Singhbhum on the date fixed in the cases, he will inform the officer in charge of the concerned police station and after closing of the courts work he will leave East Singhbhum intimating the same. Pursuant to the order of the Honourable High Court and Sessions Court and for the expeditious disposal of criminal cases pending against the appellant, the order is modified to the extent indicated hereinbefore. The appeal is remanded back to the court below to pass necessary orders within fortnight."* CCA Case No.-31/15-16 में विपक्षी अखिलेश सिंह को दिनांक 17.03.2016 को कारणपृच्छा हेतु नोटिश निर्गत किया गया। निर्धारित तिथि दिनांकः–31.03.2016 को विपक्षी/प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। दिनांकः–07.04.2016 को विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु कारणपृच्छा दायर नहीं किया। पुनः दिनांकः–12.04.2016 को विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित होकर कारणपृच्छा दायर करने हेतु एक माह के समय की मॉग की गई। दिनांकः–26.04.2016 को विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कारणपृच्छा दायर

की गई। दिनांकः—03.05.2016 एवं दिनांकः—10.05.2016 को विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। उन्हें पर्याप्त अवसर देने के पश्चात उन्होंने चौथी तिथि अर्थात् दिनांक 26.04.2016 को अपना कारणपृचछा दायर किया। विपक्षी ने न तो अपने कारणपृच्छा में किसी साक्ष्य के परीक्षण का जिक्र किया और न ही कोई साक्ष्य सूची दाखिल की है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने भी सुनवाई के क्रम में साक्ष्य के परीक्षण का अनुरोध नहीं किया। तदनुसार दिनांक 10.05.2016 को विपक्षी अखिलेश सिंह के विरूद्ध तथ्यों के आलोक में आदेश पारित किया गया।

उक्त आदेश में माननीय आयुक्त द्वारा उल्लेखित है कि अपीलार्थी अखिलेश सिंह के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनके विरूद्ध अपराधिक वाद दायर है जिसमें अपीलार्थी को Charge framing एवं बयान दर्ज कराने हेतु संबंधित न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है। माननीय सत्र न्यायालय, जमशेदपुर के आदेश के आलोक में S.T. No.- 48/07 दिनांक 21.11.2013 में Charge frame होने तक अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा S.T. No.- 445/04 में इस आधार पर जमानत प्रदान किया गया है कि वे प्रत्येक तीन माह (सोमवार को प्राथमिकता) में संबंधित न्यायालय attend करेंगे।

माननीय आयुक्त के आदेश के अनुपालन में अपराधकर्मी अखिलेश सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे S.T. No.- 48/07 तथा S.T. No.- 445/04 में न्यायालय में निर्धारित तिथि को व्यक्तिगत उपस्थिति की स्थिति में न्यायालय के आदेश की सच्ची प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपस्थिति के एक सप्ताह पूर्व अधिवक्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से समर्पित करेंगे। साथ ही जिला प्रवेश की तिथि एवं समय संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष उनके कार्यालय में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित न्यायालय में उपस्थिति के उपरान्त जिला छोड़ना सुनिश्चित करेंगे एवं उसके पूर्व पुनः अपनी उपस्थिति समय के साथ संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष उनके कार्यालय में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति के उपरांत साक्ष्य हेतु उक्त दिवस के आदेश की सच्ची प्रति अधिवक्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक 10.05.2016 को पारित आदेश में स्पष्ट है कि झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा—4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे। अतः उक्त दोनों वादों यथा S.T. No.- 48/07 तथा S.T. No.- 445/04 को छोड़कर अन्य सभी वादों में पूर्व निर्गत आदेश (दिनांक 10.05.16) का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 10.05.2016 को निर्गत आदेश इस स्तर तक संशोधित किया जाता है।

विधि—व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 14.06.2016 को पारित किया जा रहा है।

(लेखापित)

14/6/16

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

14/6/2016

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।